

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5464 / 2022

शकुन्तला अलोडिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर जोन, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Bahramda Khurd, खण्डार, सवाई माधोपुर।
5. बलबीर मीणा, अध्यापक ग्रेड द्वितीय अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Bahramda Khurd, खण्डार, सवाई माधोपुर पदस्थापित।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022

आदेश की दिनांक : 25.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरामदा खुर्द, खण्डार, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बदरेठा, धौलपुर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्था संख्या 5 को समंजित करने के आशय से किया गया है क्योंकि निजी प्रत्यर्था संख्या 5 को एक माह 12 दिवस की अल्पावधि

में ही अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो उक्त नीति के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो अनुचित व अवैध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरामदा खुर्द, खण्डार, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer

orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)